रजिस्ट्री संख्या डी एल-33001/92

REGISTERED NO. DL-33001/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 14, 1992 (फाल्गुन 24, 1913)
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 14, 1992 (PHALGUNA 24, 1913)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	229
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	313
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	5
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	427
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	255
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	301
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	555
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	46
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	229
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	313
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	427
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	255
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	301
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	555
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	45
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I--SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 10 फरवरी 1992

सं० 27/5/92-सी० एल०-2--कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री सतेन्द्र सिंह लूथरा, निरीक्षण अधिकारी को उक्त धारा 209क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है।

मधुकर गुप्ता,
अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1992

संकल्प

सं० 16018/2/91-एम०-ii--भारत सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने तथा बिचौलियों द्वारा होने वाले शोषण से सुरक्षा करने में उनकी सहायता के लिए कई उपाय किए हैं। सरकार द्वारा किया गया एक उपाय विपणन विनियम के माध्यम से कृषि उत्पाद की विपणन प्रक्रिया में अनुशासन संहिता तैयार करना है। विनियमित मंडियां केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गये "मानक अधिनियम" के अनुसार सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित कानून के अन्तर्गत स्थापित की जाती हैं। विभिन्न राज्य विपणन विनियम अधिनियमों के कार्यान्वयन में सुधार लाने की काफी गुंजाइश है। खाद्यवस्तुओं के कवरेज, तथा मंडी समितियों के संचालन के क्षेत्र की अपर्याप्तता और प्रभावी प्रवर्तन हेतु पर्याप्त प्रशासनिक आधार-भूत ढांचे के सृजन के लिए सशक्त उपबन्धों की कमी विद्यमान विपणन विनियम में देखी गई कमियों में से कुछ हैं।

2. कृषि उत्पाद के विपणन हेतु किसानों के साथ-साथ कृषि उत्पादन की संतुलित और उत्साही वृद्धि के लिए कृषि उत्पाद के विपणन हेतु प्रभावी व्यवस्थाएं अनिवार्य हैं। इससे दक्षतापूर्ण और नवीन संगठनात्मक ढांचा स्थापित करने की व्यवस्था करने के लिए वर्तमान राज्य कानून और कृषि विपणन बोर्डों के संचालन के उद्देश्य और क्षेत्र में विस्तार करने की आवश्यकता होगी।

3. इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्तमान राज्य विपणन कानूनों और विभिन्न कृषि विपणन निकायों की कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने तथा कृषि उत्पाद के विपणन के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए उचित उपायों की सिफारिश करने हेतु एक उच्चाधिकार समिति गठित करने का निर्णय किया है। समिति की संरचना और विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

संरचना

अध्यक्ष

श्री शंकर लाल गुरू
अध्यक्ष,
राज्य कृषि विपणन बोर्ड परिषद्, दिल्ली।

सदस्य

1. महानिदेशक,
   कृषि विपणन केन्द्र जयपुर।
2. भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार,
   विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
   एन० एच०-4, फरीदाबाद।
3. श्री अमरीक सिंह पूनी,
   अध्यक्ष,
   पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
   चण्डीगढ़।
4. श्री मौरे,
   अध्यक्ष,
   कर्नाटक स्टेट कृषि विपणन बोर्ड,
   बंगलौर।
5. अध्यक्ष,
   बिहार राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
   पटना।
6. अध्यक्ष,
   मेघालय राज्य कृषि बोर्ड,
   शिलांग।

7. प्रशासक,
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
जयपुर ।

8. श्री बी० डी० पवार,
कृषि विपणन निदेशक,
महाराष्ट्र राज्य पुणे ।

सदस्य-सचिव :

9. डा० जी० आर० भाटिया,
संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
एन० एच०-4, फरीदाबाद ।

विचारार्थ विषय

(क) भारत में विभिन्न राज्य मंडी अधिनियमों का अध्ययन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए असमानताओं को दूर करने के उपायों का सुझाव देना ।

(ख) विभिन्न राज्य कृषि उत्पाद विपणन बोर्डों के संविधान एवं कार्य का अध्ययन करना तथा कृषि उत्पाद मंडियों के विकास के लिए उनको प्रभावी उपकरण बनाना ।

(ग) कुछ क्षेत्रों और वस्तुओं के लिए विनियमित मंडियों की धीमी कवरेज के कारणों का अध्ययन करना और मंडी विनियम को आरम्भ करने की सुविधा के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

(घ) किसानों को अधिक से अधिक लाभ देने की दृष्टि से कृषि उत्पाद मंडियों के विकास के लिए संगठनात्मक ढांचे के सुधार और उपायों का सुझाव देना ।

(ङ) उत्पादकों को उनके उत्पादों का उच्च मूल्य दिलाने की दृष्टि से सार्वजनिक क्रय अभिकरणों, कृषि विपणन सहकारिता समितियों, उपभोक्ता संगठनों, निजी व्यापारियों आदि तथा विनियमित मंडियों के कार्य-निष्पादन के समन्वय के उपायों की सिफारिश करना ।

(च) किसानों के मंडी क्षेत्र में बिना बिके उत्पाद के लिए अल्पकालिक अग्रिम अदायगी करने के लिए व्यवस्था तथा अभिकरणों का सुझाव देना ।

(छ) विनियमित कृषि मंडियों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करना और जो भी उचित हो, उसका सुझाव देना ।

(ज) उत्पादकों/विक्रेताओं की विपणन दक्षता और लाभों के हस्तांतरण में सुधार करने के लिए विद्यमान व्यवस्थाओं की कटाई से पूर्व प्रौद्योगिकी विशेष संदर्भ में कृषि विपणन क्षेत्र के विकास के अनुसंधान हेतु अध्ययन करना ।

(झ) देश में कृषि विपणन विस्तार सेवाओं/कार्यक्रमों का अध्ययन करना और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ करने का प्रस्ताव करना ।

(ट) समिति, जो भी राज्य विपणन पद्धति के उनके परीक्षण के दौरान उपरोक्त सौंपे गये विशेष विचारार्थ विषयों के अलावा जो भी सम्बन्धित अन्य विषय सामने आए, उसके बारे में सुझाव दे सकती है ।

समिति सौंपे गये विचारार्थ विषयों में से किसी विशेष मुद्दे पर किसी को सम्बद्ध करना उचित समझे तो उसे आमंत्रित कर सकती है ।

समिति के लिए कोई अलग बजट नहीं होगा । प्रत्येक सदस्य को यात्रा तथा दैनिक भत्ता उनके अपने संगठन से मिलेगा ।

समिति अपनी रिपोर्ट तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धितों को दे दी जाए और सभी की सूचना के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

मरला गोपालन
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक फरवरी 1992

संकल्प

सं० फा०-32-34/84-पुस्त०—संस्कृति विभाग के संकल्प सं० 32-34/84-पुस्त० दिनांक 15 नवम्बर, 1990 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के गठन के सम्बन्ध में संकल्प में निम्नलिखित परिवर्तन अधिसूचित किए जाते हैं :—

I पैरा 3. क-पदेन सदस्य

1. मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार	के स्थान पर मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार पढ़ा जाए ।
2. क्रम संख्या (3) पर अपर सचिव, संस्कृति विभाग भारत सरकार	हटा दिया गया है ।

II. 6.1—स्थायी समिति का गठन

(6) अपर सचिव भारत सरकार, संस्कृति विभाग (पदेन उपाध्यक्ष) — हटा दिया गया है।

III. पैरा 7

पंक्ति 3—5 का भाग "अपर सचिव", संस्कृति विभाग (स्थायी समिति के पदेन उपाध्यक्ष) हटा दिया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि अभिलेखागार महानिदेशक, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को जन-साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एन० सिकदर,
उप शिक्षा सलाहकार (सी० एच०)

महिला एवं बाल विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 1992

संकल्प

सं० 1-16/91—सी० एस० डब्ल्यू० बी०— भारत सरकार, दिनांक 30 अगस्त, 1991 और दिनांक 26 नवम्बर, 1991 के संकल्प सं० 1—36/90—सी० एस० डब्ल्यू० बी० के अनुक्रम में, श्रीमती अमरजीत कौर को 28 नवम्बर, 1991 से आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा नियुक्त करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाए :

1. श्रीमती अमरजीत कौर, अध्यक्षा, के० स० क० बोर्ड, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सभी सदस्य।
3. सभी राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन।
4. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
5. राष्ट्रपति सचिवालय।
6. मंत्रिमण्डल सचिवालय।
7. प्रधानमंत्री कार्यालय।
8. योजना आयोग।
9. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
10. पत्र सूचना कार्यालय।
11. लेखापरीक्षा और केन्द्रीय राजस्व निदेशक, नई दिल्ली।
12. कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली।
13. रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज, नई दिल्ली।
14. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी लॉ बोर्ड, कानपुर।
15. सभी राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के अध्यक्ष।
16. सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों/प्रशासकों/उप राज्यपालों/मुख्य आयुक्तों के निजी सचिव।
17. महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री/सचिव/संयुक्त सचिव (पी) के निजी सचिव।
18. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उमा-पिल्ले,
संयुक्त सचिव

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 जनवरी 1992

संकल्प

सं० ई०—11016(II)/89—हिन्दी—पर्यटन मंत्रालय के दिनांक 30 मई, 1990, 13 सितम्बर, 1990 और 23 दिसम्बर, 1991 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में पर्यटन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में श्री कन्हैया लाल महेन्द्रू को गैर-सरकारी सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाता है। श्री महेन्द्रू का पता निम्नानुसार है :—

पूर्व विधायक,
चौक,
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

योगेश चन्द्रा,
महानिदेशक (पर्यटन) एवं पदेन अपर सचिव

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 1992

संकल्प

सं० ई०-11014/1/89-हिन्दी—इस मंत्रालय के दिनांक 23 जनवरी, 1991 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :—

"क्रम संख्या 14, 18 और 19 पर मौजूदा नामों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित नाम रखे जायेंगे :—

14. श्री रमेश चेन्नीथाला, सदस्य (लोक सभा)
18. श्री राम पूजन पटेल, सदस्य (लोक सभा)
19. श्री चन्दूभाई देशमुख, सदस्य (लोक सभा)"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण और विविध तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अशोक जोशी,
संयुक्त सचिव

विद्युत एवं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, दिनाक 10 फरवरी 1992

सं० 6/8/90-ट्रांस०—विद्युत विभाग के दिनाक 4 अक्तूबर, 1991 के संकल्प सं० 6/8/90-ट्रांस० में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ट के गठन सम्बन्धी संरचना में क्र० सं० 14 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए :—

15. "सदस्य सचिव, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड ।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त संकल्प असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैण्ड और मिजोरम की राज्य सरकारो, असम और मेघालय के राज्य बिजली बोर्ड, नीपको, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, भारत सरकार के सभी मंत्रालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेज दिया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया जाए ।

ए० एच० जंग,
संयुक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनाक 11 फरवरी 1992

संकल्प

सं० ई०-11015/1/90-हिन्दी—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिनांक 2 जुलाई 1990, 13 अगस्त, 1990, 11 फरवरी, 1991, 21 अक्तूबर, 1991, 30 अक्तूबर, 1991 तथा 19 दिसम्बर, 1991 के समसंख्यक संकल्पों के अनुक्रम में, भारत सरकार एतद्द्वारा डा० सोमेश्वर दत्त शास्त्री, डी-2/335, विनय मार्ग, नई दिल्ली-23, को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामित करती है ।

2. समिति की अन्य शर्तें वही रहेंगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और लेखा महानियंत्रक को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एम० लक्ष्मीनारायणम,
संयुक्त सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च, 1992

नियम

सं० 5/27/91-के०से० (II)—कर्मचारी चयन आयोग (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित सेवाओं के ग्रेड "घ" की अस्थाई रिक्तियों को भरने के लिये वर्ष 1992 के दौरान दो महीने/तीन महीने में एक बार दूसरे शनिवार तथा रविवार को और यदि आवश्यक हुआ तो उसके बाद पड़ने वाले शनिवार/रविवार को ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित नियम जन साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किये जाते हैं :—

1. (ग्रेड–III ग्रेड "घ"), केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा।

2. (ग्रेड–III (ग्रेड "घ") सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा।

3. आई० एफ० एस० "ख" के आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड–III।

4. संसदीय कार्य विभाग, आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–III (ग्रेड "घ"), आशुलिपिक।

दिल्ली केन्द्र में परीक्षा दो महीनों में एक बार आधार पर होगी तथा दिल्ली से बाहर के केन्द्रों में त्रैमासिक आधार पर होगी।

2. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का निर्धारण सरकार द्वारा समय समय पर किया जायेगा और कर्मचारी चयन आयोग को इसकी सूचना आयोग द्वारा यदि आवश्यक समझा जाता है, परीक्षाओं के परिणाम घोषित किये जाने से पहले दे दी जायेगी। भारत सरकार द्वारा यथा-निर्धारित रिक्तियों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण किये जायेंगे।

(i) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों से उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से आशय है जो संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जन जाति), आदेश, 1960 संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र), आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित जन जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 में दी गई हों और जिसे (अनुसूचित जाति) तथा (अनुसूचित जन जाति) सूचियां संशोधन आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह), अनुसूचित जन जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1962, संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित जनजाति) उत्तर प्रदेश आदेश, 1967, संविधान (गोवा, दमन दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1968 तथा संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978 द्वारा संशोधित किया गया है। संविधान (जम्मू तथा कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 तथा संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट-I में निर्धारित ढंग से ली जायेगी। प्रवेश के प्रयोजन के लिये उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र परिशिष्ट-II में दिये गये प्रपत्र के अनुसार सादे कागज पर भेजने होंगे। इन आवेदन पत्रों को संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा संवीक्षा के बाद अनुबन्ध–I में किये कार्यक्रम के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग को अग्रेषित कर दिया जायेगा।

4. नियमित रूप से नियुक्त भारतीय विदेश सेवा (ख) संसदीय कार्य विभाग/सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का कोई भी स्थाई या अस्थाई अवर श्रेणी /उच्च श्रेणी लिपिक उन रिक्तियों के लिये इस प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ सकेंगे।

4. (1) सेवाकाल : उसने "निर्णायक तारीख" को जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा समूह "घ" (प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1969 के विनियम 2(क) में पारिभाषित है। संबंधित संवर्ग/सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड अथवा उच्च श्रेणी ग्रेड में कम से कम 2 वर्षों की अनुमोदित और लगातार सेवा पूर्ण कर ली हो।

टिप्पणी-1 : दो साल की अनुमोदित और निरन्तर सेवा की शर्त भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की कुल गिनी जाने वाली सेवा आंशिक रूप से संबंधित संवर्ग/सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड अथवा उच्च श्रेणी ग्रेड में हो।

टिप्पणी-2 : संबंधित संवर्ग/सेवा के अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड या उच्च श्रेणी के वे अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नि: संवर्ग पदो में प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों तो इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। यह शर्त उस अधिकारी पर भी लागू होती

है जो स्थानान्तरण पर किसी निःसंवर्ग पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया है और यदि उस अधिकारी का संबंधित संवर्ग/सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड में फिलहाल कोई पूर्व ग्रहणाधिकार चलता जा रहा हो।

टिप्पणी-3 : अवर श्रेणी या उच्च श्रेणी ग्रेड में नियमित रूप में नियुक्त अधिकारी का अर्थ उस अधिकारी से है जो उपर्युक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट किसी संवर्ग में आवंटित हो।

(2) आयु : इस परीक्षा के लिये किसी उम्मीदवार की आयु "निर्णायक तारीख" को (जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा समूह "घ") प्रतियोगिता परीक्षा विनियम, 1969 के नियम 2(ख) में पारिभाषित है (50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

इस आयु रियायत के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने के लिये जिन उम्मीदवारों को अनुमति दे दी जाती है वे सभी रिक्तियों के लिये परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

5. ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और ढील दी जा सकेगी:—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(ii) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भाव पूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुचित जनजाति का हो और श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नही दी जा सकती है।

6. परीक्षा में असफल होने वाला उम्मीदवार अगली परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा, परन्तु उससे अगली या उसके बाद की ही परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

7. ऐसे किसी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा जिसके पास आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश पत्र न हो।

8. अपनी उम्मीदवारी के लिये किसी भी साधन द्वारा समर्थन प्राप्त करने के प्रयास किये जाने से प्रवेश के लिये उसे अनर्हक किया जा सकेगा।

9. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिये दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने:—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति के छदम नाम से काम कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिनमें तथ्यो को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायो का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हो जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, या

(x) परीक्षा भवन से अपने साथ उत्तर पुस्तिका/आशुलिपि चिन्ह टाईप करने की लिपि ले जाने पर,

(xi) परीक्षा चलाने के लिये आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(xii) परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाले प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ उम्मीदवार को जारी किये गये किसी भी अनुदेश या उल्लंघन करना, अथवा

(xiii) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग का अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो;

तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे स्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिये।

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिये,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है और

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

11. परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को आयोग द्वारा चार अलग सूचियों में प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम के अनुसार रखा जाएगा और इसी क्रम में उतने उम्मीदवारों की, जितनों को आयोग द्वारा उत्तीर्ण समझा जाएगा सम्बन्धित संवर्ग/सेवा के पदों में परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली अनारक्षित रिक्तियों की संख्या तक नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी ।

लेकिन यह भी शर्त है कि यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या न भरी गई हो तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित सामान्य स्तर के अनुसार उस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए उपर्युक्त घोषित कर देने पर उसे सेवा/पद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों पर नियुक्ति की जाने के लिए परीक्षा में उसके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान किए बिना ही उनकी सिफारिश कर दी जाएगी ।

टिप्पणी :— उम्मीदवारों को यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक । परीक्षा के लिए परिणामों के आधार पर सेवा के ग्रेड "घ" में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या निश्चित करने के लिए सरकार पूर्णतः सक्षम है । अतः किसी भी उम्मीदवार का इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर एक अधिकार के तौर पर ग्रेड "घ" आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं होगा ।

12. अलग-अलग उम्मीदवारों के परीक्षा-परिणामों की सूचना के स्वरूप तथा प्रकार के बारे में आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णय किया जाएगा और आयोग उसके साथ परीक्षाफल के बारे में कोई पत्राचार नहीं करेगा ।

13. परीक्षा में सफलता मात्र से ही चयन का तब तक कोई अधिकार नहीं मिलता जब तक कि सरकार द्वारा यथावश्यक जांच पड़ताल न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में अपने चरित्र की दृष्टि से चयन के लिए सब प्रकार से उपयुक्त है ।

वह उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के पश्चात् अथवा उसमें बैठने के पश्चात अपने पद से त्याग पत्र दे देता है, अथवा सेवा को अन्यथा छोड़ देता है अथवा उसके संधि-विच्छेद कर लेता है, उसके विभाग द्वारा उसकी नौकरी समाप्त कर दी जाती है अथवा जो उम्मीदवार, "स्थानांतरण" पर किसी संवर्ग बाह्य पद अथवा किसी दूसरी सेवा में नियुक्त किया जाता है और सम्बन्धित संवर्ग सेवा में उसका पूर्ण ग्रहणाधिकार नहीं होता है उस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

किन्तु यह उस उम्मीदवार पर लागू नहीं होता जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी नि संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है ।

14. ये नियम दिनांक 1 जनवरी, 1992 से प्रवृत्त होंगे ।

करतार सिंह,
अवर सचिव

परिशिष्ट—1

परीक्षा पद्धति

उम्मीदवारों को अंग्रेजी में या हिन्दी में 10 मिनट की एक श्रुतलेख की परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से देनी होगी । जो उम्मीदवार अंग्रेजी परीक्षा देने का विकल्प करेंगे उन्हें 65 मिनट में लिप्यन्तर करना होगा और जो उम्मीदवार हिन्दी में परीक्षा देने का विकल्प करेंगे उन्हें क्रमशः 75 मिनट में लिप्यन्तर करना होगा । आशुलिपि परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 300 होंगे ।

टिप्पणी :— जो उम्मीदवार आशुलिपिक परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें अपनी नियुक्ति के बाद अंग्रेजी आशुलिपि और जो उम्मीदवार आशुलिपि की परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि सीखनी होगी ।

2. उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि के नोटों का टाइपराइटर पर लिप्यांतरण करना होगा और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपने साथ अपने टाइपराइटर लाने होंगे ।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित दो महीनों में एक बार/तिमाही आशुलिपिक परीक्षा का कार्यक्रम ।

केवल दिल्ली केन्द्र के लिए

दो महीनों में एक बार आशुलिपिक परीक्षा का महीना	आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख
1. फरवरी, 1992	1 जनवरी, 1992 ।
2. अप्रैल, 1992	1 मार्च, 1992
3. जून, 1992	1 मई, 1992
4 अगस्त, 1992	1 जुलाई, 1992
5. अक्तूबर, 1992	1 सितम्बर, 1992
6. दिसम्बर, 1992	1 नवम्बर, 1992

दिल्ली से बाहर के केन्द्रों के लिए

तिमाही आशुलिपिक परीक्षा का महीना	आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख
1. जनवरी 1992	15 नवम्बर, 1991
2. अप्रैल, 1992	15 फरवरी, 1992
3. जुलाई, 1992	15 मई, 1992
4. अक्तूबर, 1992	15 अगस्त, 1992

परिशिष्ट–II

प्रपत्र

कर्मचारी चयन आयोग

ग्रेड "घ" आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा

यहां उम्मीदवार के पासपोर्ट साइज के फोटो की हस्ताक्षरित प्रति चिपकाई जाएं । दूसरी हस्ताक्षरित फोटो की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए ।

(1) पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट का विवरण और मूल्य :

(2) उम्मीदवार का नाम श्री/श्रीमती/कुमारी (साफ अक्षरों में)

(3) सही जन्म तिथि (ईस्वी सन् में)

(4) परीक्षा केन्द्र :

(5) जिस कार्यालय में कार्य कर रहे हो उसका नाम तथा पता :

(6) क्या आप
(i) अनुसूचित जाति
(ii) अनुसूचित जन जाति

(7) (i) पिता का नाम :
(ii) पति का नाम :
(महिला उम्मीदवार के मामले में)

(8) जिस भाषा (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) में आप आशुलिपि परीक्षा देना चाहते हों, उसका नाम लिखें :

(9) क्या आप पिछली परीक्षा में बैठे थे : यदि हां तो अपना रोल नं० तथा परीक्षा का महीना लिखें :

(10) (क) क्या आप केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड/उच्च श्रेणी ग्रेड के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी हैं और क्या आपने निर्णायक तारीख को संगत ग्रेड में न्यूनतम दो वर्ष की लगातार सेवा कर ली है :

टिप्पणी :— निर्णायक तारीख से तात्पर्य है ।

(i) यदि परीक्षा उस वर्ष की पहली जुलाई से पहले लिए जाने के लिए अधिसूचित की जाती है, तो निर्णायक तारीख उस वर्ष की पहली जनवरी होगी ।

(ii) यदि परीक्षा उस वर्ष की पहली जुलाई के बाद लिये जाने के लिए अधिसूचित की जाती है तो निर्णायक तारीख उस वर्ष की पहली अगस्त होगी ।

(ख) संवर्ग में अवर श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर नियमित होने की तारीख ।

(ii) यदि आप सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं अथवा संवर्ग बाह्य पद पर स्थानांतरण के आधार पर है तो क्या आप पूर्व पद पर अपना धारणाधिकार (लियन) रखेंगे ।

(टिप्पणी : —नाम व पता दर्शाने वाली छ :प्रतियां संलग्न करें)

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

उस कार्यालय के विभागाध्यक्ष द्वारा भरे जाने के लिए जिसमें उम्मीदवार सेवा कर रहा है ।

प्रमाणित किया जाता है कि :—

(1) आवेदन पत्र के कालमों में उम्मीदवार द्वारा की गई प्रविष्टियों को उसके सेवा रिकार्डों से जांच कर ली गई है और वे सही हैं ।

(2) उसके आवेदन पत्र की जांच कर ली गई है और प्रमाणित किया जाता है कि वह नियमों में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है तथा वह परीक्षा में बैठने के लिए सभी तरह से पात्र है ।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
विभाग/कार्यालय

संख्या .....

तारीख .....

टिप्पणी :— जो उम्मीदवार एक बार फेल हो जाता है वह केवल अगले तीन महीनों के बाद की परीक्षा में बैठ सकता है अर्थात जो उम्मीदवार अप्रैल में ली जाने वाली परीक्षा में फेल हो जाए तो वह अक्तूबर अथवा उसके बाद होने वाली परीक्षा में बैठ सकता है ।

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 10th February 1992

No. 27/5/92-CL.II.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 209A of the Companies Act. 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri Satyendra Singh Luthra, Inspecting Officer in the Department of Company Affairs for the purpose of the said section 209A.

MADHUKAR GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 30th January 1992

RESOLUTION

No. 16018/2/91-M. II.—The Government of India has taken several measures to help the farmers in getting a fair renumeration for their produce and to safeguard them against exploitation by middlemen. One such measure undertaken by the Government has been to evolve a code of discipline in the process of marketing of agricultural produce through regulation of markets. The regulated markets are established under legislation enacted by the respective State Governments, on the lines of a 'Model Act' framed by the Central Government. There seems to be a great scope for improving the implementation of the various State Market Regulation Acts. The inadequacy of coverage of commodities, area of operation of the Market Committees and absence of enabling provisions for creation of adequate administrative infrastructure for effective enforcement are some of the deficiencies observed in the existing market legislation.

2. Effective arrangements for marketing of agricultural produce are essential for improving the lot of the farmers as well as for balanced and sustained growth of agricultural production. This will require widening of the scope and area of operation of the present State Legislation and Agricultural Marketing Boards to provide an efficient and innovative organisational set up.

3. The Ministry of Rural Development has, therefore, decided to set up a High Power Committee to review the present State Market Acts and working of various agricultural marketing bodies and to recommend appropriate measures for streamlining and strengthening of the set up for marketing of agricultural produce. The composition and terms of reference of the committee are given below :—

COMPOSITION

Chairman

Shri Shankarlal Guru,
Chairman,
Council of State Agricultural
Marketing Boards, Delhi.

Members

1. Director General,
Centre for Agricultural Marketing,
Jaipur.

2. Agricultural Marketing Adviser
to the Govt. of India,
Dte. of Marketing & Inspection,
NH-IV, Faridabad.

3. Shri Amrik Singh Pooni,
Chairman,
Punjab State Agricultural Marketing Board,
Chandigarh.

4. Shri Morey,
Chairman,
Karnataka State Agricultural Marketing Board,
Bangalore.

5. Chairman,
Bihar State Agricultural Marketing Board,
Patna.

6. Chairman,
Meghalaya State Agricultural Board,
Shillong.

7. Administrator,
Rajasthan State Agricultural Marketing Board,
Jaipur.

8. Shri B. D. Pawar,
Director of Agricultural Marketing,
Maharashtra State,
Poona.

Member-Secretary

9. Dr. G. R. Bhatia,
Jt. Agricultural Marketing Adviser,
Dte. of Marketing & Inspection,
Ministry of Rural Development,
NH-IV, Faridabad.

TERMS OF REFERENCE

(a) To study different State Market Acts in India and recommend measures to remove disparities for their effective implementation.

(b) To study the Constitution and working of different State Agricultural Produce Marketing Boards and recommend measures to make them effective instruments for development of agricultural produce markets.

(c) To study the reasons for slow coverage of regulated markets in certain areas and for certain commodities, and recommend measures for facilitating the introduction of market regulation.

(d) To recommend improvements in organisational structure and ways and means for development of agricultural produce markets with a view to giving maximum benefits to farmers.

(e) To recommend steps to coordinate the working of public purchase agencise, agricultural marketing cooperative societies, consumer organisations, private traders etc., and regulated markets with a view to secure higher returns to producers.

(f) To recommend agencies and arrangements for making short-run advance payment to farmers for their unsold produce in the market yards.

(g) To study the impact of central assistance schemes for development of regulated agricultural markets and recommend modifications as warranted.

(h) To study the existing arrangements for research and development in agricultural marketing sector with specific reference to post-harvest technology and its application for improving marketing efficiency and transfer of benefits to the producers/sellers.

(i) To study and propose streamlining and strengthening of agricultural marketing extension services/programmes in the country.

(j) The Committee may recommend on any related matter which may come to their notice in the course of their examination of the State Marketing systems over and above the specific points of reference mentioned above.

The Committee may invite any person, they would like to associate with any specific point of reference.

There will be no separate budget for the Committee. Each member will draw TA and DA from the organisation to which he belongs.

The Committee will submit its report within a period of three months.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to all concerned and that it may be published in the Gazette of India for general information

SARALA GOPALAN, Jt Secy

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the February 1992

RESOLUTION

No F 32-34/84 Lib —In partial modification of Department of Culture Resolution No F 32-34/84-Lib.(P&A) dated 15 11 1990, the following changes are hereby notified in the said Resolution constituting the Indian Historical Records Commission —

I *Para 3 A—Ex-Officio Members*

Minister of State for Human Resource Development, Government of India	May be read as Minister for Human Resource Development Government of India

2 Additional Secretary, Department of Culture, Government of India at Sr No (3) Stands *deleted*

II 6 1—*Composition of Standing Committee*

(6) Additional Secretary to the Government of India, Department of Culture (Ex-Officio Vice-Chairman) Stands *deleted*

III *Para* 7

Lines 3–5 portion "Additional Secretary, Department of Culture (Ex-Officio Vice-Chairman of the Standing Committee) Stands *deleted*

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to Director General of Archives, National Archives of India, New Delhi

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information

N SIKDAR, Dy. Educational Advisor (CH)

(DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT)

New Delhi, the 12th February 1992

RESOLUTION

F No 1 16/91-CSWB —In continuation to Resolution Nos 1-36/90 CSWB dated 30th August 1991 and 26th November, 1991, the Government of India is pleased to appoint Smt Amarjit Kaur as Chairman of the Central Social Welfare Board for a period of three years beyond 28th November, 1991

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to

1 Smt Amarjit Kaur, Chairman, C S W B, New Delhi
2 All the Members of the Central Social Welfare Board
3 All the State Governments/Union Territory Admn
4 All the Ministries/Departments of the Govt of India
5 President's Secretariat
6 Cabinet Secretariat
7 Prime Minister's Office
8 Planning Commission
9 Lok Sabha/Rajya Sabha Sects
10 PIB
11 Director of Audit & Central Revenues, New Delhi
12 Department of Company Affairs New Delhi
13 Registrar of Companies New Delhi
14 Regional Director, Company Law Board, Kanpur
15 All Chairman, State Social Welfare Advisory Boards
16 PSs to Governors/Administrators/Lt Governors/Chief Commissioners of All States/UTs
17 PSs to Minister of State for Women & Child Development/Secretary/JS(P)
18 Exective Director, Central Social Welfare Board

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information

UMA PILLAI, Jt Secy

MINISTRY OF TOURISM

New Delhi 110001, the 28th January 1992

RESOLUTION

No E 11016/11/89 Hindi —In continuation of Ministry of Tourism's Resolution dated 30 5-1990 13-9 1990 and 23 12-1991 of even number Shri Kanahiya Lal Mahendru is nominated on the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Tourism as non-official member The address of Shri Mahendru is given as under —

Ex M L A
Chowk
Lucknow (U P)

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's office Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Sects, Rajya Sabha Secretariat, President's Secretariat Comptroller & Auditor General of India and all the Ministries/Departments of Govt of India

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

YOGESH CHANDRA,
Director General of Tourism & ex-officio Addl Secy

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

New Delhi, the 14th February 1991

RESOLUTION

No E-11014/1/89 Hindi —In partial modification of this Ministry's resolution of even number dated 23 1-1991 the following amendments are hereby made —

The existing names at Serial Numbers 14, 18 and 19, will be replaced by the following, viz —

14 Shri Ramesh Chennithala,
Member, Lok Sabha,

18 Shri Ram Pujan Patel,
Member, Lok Sabha,

19 Shri Chandu Bhai Deshmukh,
Member, Lok Sabha,
respectively."

ORDER

It is ORDERED that a copy of this Resolution may be sent to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Commerce, Works and Miscellaneous and all Ministries and Departments of the Government of India

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information

ASHOK JOSHI, Jt Secy

MINISTRY OF POWER & NON CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

(DEPARTMENT OF POWER)

New Delhi, the 10th February 1992

No 6 8/90 Trans—In the Deptt. of Power Resolution No 6/8/90-Trans, dated 4th Oct, 1991, the following may be added after Sl No XIV in the composition of the North-Eastern Regional Electricity Board —

(xv) "Member Secretary, North Eastern Regional Electricity Board"

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the State Governments of Assam, Manipur, Arunachal Pradesh Tripura, Meghalaya Nagaland and Mizoram, the State Electricity Boards of Assam and Meghalaya, the NEEPCO the National Hydro Electric Power Corporation, the National Power Transmission Corporation, the Central Electricity Authority, the North-Eastern Regional Electricity Board, all Ministries of Govt of India the Prime Minister's Office, the Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

A H JUNG, Jt Secy

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 11th February 1992

RESOLUTION

No E 11015/1/90-Hindi—In continuation of Ministry of Information and Broadcasting's resolutions of even number dated 2-7 1990, 13-8-1990, 11 2 1991, 21 10 1991, 30 10-91 and 19-12 1991 Government of India, Ministry of Information and Broadcasting, hereby nominate Dr Someshwar Dutt Shastri, D II 335, Vinay Marg, New Delhi 23, as non official member of the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Information and Broadcasting

2 The other terms and conditions of the Committee will remain the same

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, all Ministries/Departments of the Government of India, President's Secti, Prime Minister's Office, Cabinet Secti, Lok Sabha Secti, Rajya Sabha Secti, Planning Commission, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues and Controller General of Accounts

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S LAKSHMI NARAYANAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, P G & PENSIONS
(DEPTT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 14th March 1992

RULES

No 5/27/91 CS II—The rules for competitive examination to be held by the Staff Selection Commission (Department of Personnel & Training) New Delhi, on Bi-monthly/Quarterly basis during the year, 1992 on second Saturday and Sunday and if necessary, on the Saturday/Sunday following thereafter, for the purpose of filling temporary vacancies in Grade 'D' of the following Services are published for general information

1 Grade III (Grade D) of Central Secretariat Stenographers Service

2 Grade III (Grade 'D') of Armed Forces Headquaters Stenographers Service

3 Grade III of Stenographers Cadre of IFS 'B'

4 Grade III (Grade 'D') Stenographers of Department of Parliamentary Affairs Stenographers Service

The test will be held on Bi-monthly basis for Delhi Centre and on Quarterly basis for Centres outside Delhi

2 The number of vacancies to be filled on the result of the examination will be determined by Government from time to time and intimated to the Staff Selection Commission before the results of the examinations are announced by the Commission if necessary The Reservations will be made for candidates who are, Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India

(1) Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951 the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act 1960 the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes, Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order 1968 the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970 the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order, (Amendment) Act, 1976, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978, the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989, the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 1990 and the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Ordinance, 1991

3 The examination will be conducted by the Staff Selection Commission, in the manner prescribed by in the appendix I

to these Rules. For the purpose of admission the candidates will be required to submit applications, on plain paper as in the form given in appendix-II, which after due scrutiny, will be forwarded by the Ministry/Department/Office concerned to the Staff Selection Commission as per programme in Appendix I.

4. Any permanent or temporary regularly appointed LDC/UDC of the Indian Foreign Service (B)/Department of Parliamentary Affairs/Armed Forces Head Quarters Clerical Service/Central Secretariat Clerical Service shall be eligible to appear at the examination and compete for the vacancies.

4 (1). Length of Service : He/She should have on the 'crucial date' (as defined under Regulation 2(a) of the Central Sectt. Stenographers' Service Grade 'D' (Competitive Examination) Regulations, 1969) rendered not less than two years approved and continuous service in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Service concerned.

NOTE 1 : The limit of two years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Cadre/Service concerned.

NOTE 2 : Officers of the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Cadre/Service concerned who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This also applies to an officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer if he/she continues to have a lien in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the cadre/Service concerned for the time being.

NOTE 3 : Regularly appointed officers to the Lower Division Grade or the Upper Division Grade means, an officer allotted to any of the Cadre/Service mentioned in para 1 above.

(2) Age : A candidate for this examination should not be more than 30 years of age on the 'crucial date' (as defined under Regulation 2(a) of the Central Sectt. Stenographers Service Grade 'D' (Competitive Examination) Regulations 1969).

Candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete for all the vacancies.

5. The upper age limit prescribed above will be further relexable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement in October, 1964.

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate or prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate who fails in the examination will not be eligible to take the next examination but only that following the next examination or subsequent examination.

7. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission to the examination.

9. A candidate who is or has been declared by the Commission to be quality of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, or

(v) making statement which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing irrelevant matter, including obsence language or pornographic matter in the script(s), or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination Hall, or

(x) Taking away answer book/shorthand notes typing scripts with him/her from the examination hall.

(xi) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations or,

(xii) violating any of the instructions issued to the candidates alongwith their Admission Certificates permitting them to take the examination; or

(xiii) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

May in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

11. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in four separate lists, in the order of merit, as disclosed oby the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination in respective Cadre/Service.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Staff Selection Commission by a relexed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection to the service, irrespective of their ranks in order of merit at the examination.

NOTE :—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be appointed to Grade D of the Service on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for appointment as a Stenographer Grade D on the basis of his performance in this examination as a matter of right.

12. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commisssion in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them, regarding the result.

13. Success in the examination confers no right to selection, unless the Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection.

A candidate who, after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the service or severes his connection with it, or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and does not have a lien in the cadre Service concerned will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a candidate who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

14. These Rules take effect from 1-1-92.

KARTAR SINGH,
Under Secy.

APPENDIX I

SCHEME OF THE EXAMINATION

Candidates will be given one dictation test in English or in Hindi at 80 words per minute for 10 minutes. The candidates who opt to take the test in English will be required to transcribe the matter in 65 minutes and the candidates who opt to take the test in Hindi will be required to transcribe the matter in 75 minutes respectively. The shorthand tests will carry a maximum of 300 marks.

NOTE : Candidates who opt to take the shorthand tests in Hindi will be required to learn English Stenograpy and Vice versa, after their appointment.

2. Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters and for this purpose, they will be required to bring their own typewriters with them.

PROGRAMME OF BI-MONTHLY/QUARTERLY STENOGRAPHY TESTS TO BE CONDUCTED BY STAFF SELECTION COMMISSION.

FOR DELHI CENTRE ONLY

	Month of Bi-Monthly Stenography Test	Last date of receipt of applications in the commission
1.	February, 1992	1st January, 1992
2.	April, 1992	1st March, 1992
3.	June, 1992	1st May, 1992
4.	August, 1992	1st July, 1992.
5.	October, 1992	1st Sept., 1992.
6.	December, 1992	1st Nov., 1992.

FOR CENTRES OUTSIDE DELHI

	Month of Quarterly Stenography Test	Last date of receipt of applications in the Commission
1.	January, 1992	15th nov., 1991.
2.	April, 1992	15th Feb., 1992.
3.	July, 1992	15th May, 1992.
4.	October, 1992	15th August, 1992.

APPENDIX-II

PROFORMA

STAFF SELECTION COMMISSION

GRADE 'D' STENOGRAPHERS COMPETITIVE EXAMINATION

Signed passport size photograph of the candidate to be pasted here. Another signed photograph should be firmly attached to the application.

1. Particulars of Postal Orders/ Bank Draft and the value.
2. Name of the candidate (in Shri/Smt./Kum. capital letters).
3. Exact date of birth (in Christian Era).
4. Centre opted.
5. Name and address of office where working.
6. Are you a —
   (i) Scheduled Caste.
   (ii) Scheduled Tribe.
   Answer 'Yes' or 'No'.
7. (i) Father's Name
   (ii) Husband's Name (in case of lady candidate).
8. State the language (Hindi or English) in which you wish to take the shorthand test.
9. Whether appeared in the previous examination, if so, indicate the month and Roll Number.
10. (a) Are you a permanent or temporary regularly appointed officer of the Lower Division Grade/Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service and have rendered not less than two years approved and continuous service in the relevant grade on the crucial date.

    NOTE : Crucial date means.

    (i) First day of the January of the year if the examination is notified to be held before 1st July of that year.
    (ii) First day of August of the year if the examination is notified to be held on or after 1st July of the year.

    (b) Date from which regularly employed as LDC/UDC in the cadre.
11. In case you are on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority, or the ex-cadre post is on transfer basis state whether you continue to hold a lien on the previous post.

NOTE —Please attach six slips showing the names and addresses.

Signature of the candidate.

TO BE FILLED BY THE HEAD OF DEPARTMENT OF THE OFFICE WHERE THE CANDIDATE IS SERVING.

Certified that :—

(i) The entries made by the candidate in columns of the application have been verified with reference to his/her service records and are correct.

(ii) His application has been scrutinized and it is certified that he fulfils all the conditions laid down in the rules and is eligible in all respects to appear at the examination.

Signature. . . . . .

Name. . . . . .

Designation. . . . . .

Deptt./Office. . . . . .

No.

Date

NOTE : A candidate who once fails can take the examination only after another three months i.e. a candidate who fails in the examination to be held in April, can take the exam. to be held in October or subsequent.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1992
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi—1992